राजस्थान सरकार

नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः–प.5(3)नविवि/3/99 पार्ट जयपुर, दिनांकः 22 JAN 2020

आदेश

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 74, राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम, 1974 के नियम 7ए, एवं राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम 1970 की धारा 60 के अन्तर्गत प्राधिकरणों/नगर सुधार न्यासों एवं आवासन मण्डल की बकाया लीज राशि के ब्याज में छूट देने की शक्ति राज्य सरकार में निहित है।

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 74, राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम, 1974 के नियम 7ए, एवं राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम 1970 की धारा 60 के अन्तर्गत नगरीय निकायों/नगर विकास न्यासों/राजस्थान आवासन मण्डल/जयपुर, जोधपुर तथा अजमेर विकास प्राधिकरण की बकाया लीज राशि दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 तक एक मुश्त जमा कराये जाने पर ब्याज राशि में शत–प्रतिशत छूट विभागीय आदेश क्रमांक प.5(3)नविवि/3/99 पार्ट दिनांक 18.07.2019 द्वारा प्रदान की गयी थी।

विभागीय आदेश क्रमांक प.5(3)नविवि/3/99 पार्ट दिनांक 18.07.2019 की निरन्तरता में प्रदत्त छूट एतदद्वारा दिनांक 31 मार्च, 2020 तक बढ़ायी जाती है।

सभी प्राधिकरण, नगर विकास न्यास तथा राजस्थान आवासन मण्डल सुनिश्चित करेंगेः–

I. योजना का लाभ संभावित लाभार्थियों को प्रदान किये जाने के समुचित प्रयास किये जाकर कम से कम 90 प्रतिशत बकाया लीज राशि की वसूली किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

II. उक्त एमनेस्टी योजना की प्रगति/क्रियान्विति एवं प्राप्त राजस्व की नियमित समीक्षा किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

III. विभागीय अधिकारियों को बकाया लीज राशि की वसूली के पृथक–पृथक लक्ष्य आवंटित किये जावे एवं यदि आवश्यकता हो तो विशेष कैम्प आयोजित कर अधिकतम वसूली सुनिश्चित की जावे।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101906192 दिनांक 21.01.2020 पर प्रदत्त सहमती के क्रम में जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजि सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार।
2. निजि सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
3. निजि सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार।
5. निजि सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नविवि।
6. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।